बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– मो0–03–कार्य–डी0–07/20–III– 363

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

सेवा में,

सचिव,
पर्यटन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना, दिनांक : 13/02/26

विषय : रोहतास जिलान्तर्गत इन्द्रपुरी बराज के निकट पर्यटकीय सुविधाओं के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक 3202 दिनांक 05.12.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में रोहतास जिलान्तर्गत इन्द्रपुरी बराज के निकट रकबा 10.89 एकड़ (Latitude 24.828405°, Longitude 84.140761°) भूमि का पर्यटकीय सुविधाओं के निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तों के साथ अनापत्ति निर्गत किया जाता है :–

1. निर्माण कार्य (स्थायी/अस्थायी) के कारण आस–पास निर्मित किसी भी संरचना से कोई छेड़छाड़/क्षतिग्रस्त नहीं किया जायेगा।
2. प्रस्तावित स्थल पर स्थायी संरचना का निर्माण नहीं किया जायेगा।
3. प्रस्तावित स्थल पर विभागीय स्वामित्व बना रहेगा।
4. प्रस्तावित निर्माण कार्य के दौरान जल संसाधन विभाग के किसी भी परिसम्पत्ति की क्षति होने पर जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के निदेशानुसार कार्यकारी विभाग अपने खर्च पर आवश्यक कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. प्रस्तावित निर्माण कार्य संबंधी रूपांकण एवं आलेख्य कार्यपालक अभियंता, सोन बराज प्रमंडल, इन्द्रपुरी को समर्पित कराना होगा एवं उनकी सहमति के उपरान्त ही निर्माण कार्य किया जायेगा।
6. प्रस्तावित निर्माण कार्य के दौरान संभावित दुर्घटना से बचाव हेतु आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कार्य कराने की जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग की होगी। निर्माण कार्य के दरम्यान कोई अकास्मिक दुर्घटना घटित होने की स्थिति में इसकी पूर्ण जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग की होगी।
7. प्रस्तावित पर्यटकीय सुविधाओं के निर्माण के उपरांत विभागीय भूमि पर से अवशिष्ट पदार्थ (Waste Material) को हटाने की जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग की होगी।
8. प्रस्तावित निर्माण कार्य के दरम्यान जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कार्यहित में दिया गया निदेश मानना होगा।

9. प्रस्तावित कार्य के दौरान वैसे अनदेखे कार्य (Unseen Work) जो जल संसाधन विभाग के कार्यहित में हो, उसे कार्यकारी विभाग को करना होगा।

10. भविष्य में पर्यटकीय सुविधाओं का मरम्मति या विस्तारीकरण एवं अन्य कार्य जल संसाधन विभाग की सहमति से किया जायेगा।

11. प्रस्तावित निर्माण कार्य से जल प्रवाह/Waterway प्रभावित या अतिक्रमित नहीं होना चाहिए।

12. प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

13. डैम सेफ्टी एक्ट, 2021 के अंतर्गत सुझाये गये नये कार्यों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

14. उक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : मो0–03–कार्य–डी0–07/20–III– 363 पटना, दिनांक : 13/02/26

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग पटना/मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग डिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : मो0–03–कार्य–डी0–07/20–III– 363 पटना, दिनांक : 13/02/26

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव महोदय के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : मो0–03–कार्य–डी0–07/20–III– 386 पटना, दिनांक : 18/02/26

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, आई० टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(प्रशांत कुमार)
अधीक्षण अभियंता
यो० एवं मो० अंचल०–2, पटना।